झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
किसान प्रशिक्षण केंद्र परिसर, एच.ई.सी. सेक्टर-2, धुर्वा,राँची- 834004
Website http:/ www.jmf.coop

(मिश्रित पशु आहार एवं मिनरल मिक्सचर)

(अधिकृत वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना)

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (JMF), पशुपालकों के लिये पौष्टिक एवं मिश्रित पशुआहार एवं मिनरल मिक्सचर को मेधा ब्रांड के नाम से झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिले में निजी बिक्री के लिये अधिकृत वितरकों को इस सूचना के माध्यम से आवेदन देने हेतु आमंत्रित करती है ।

निविदा के माध्यम से चयनित वितरक झारखण्ड दुग्ध महासंघके मेधा डेयरी, होटवार स्थित पशु आहार कारख़ाना द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के पौष्टिक एवं मिश्रित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य इनपुट सामग्री की बिक्री जे.एम.एफ. के नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए कर सकेंगे|

इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य शर्ते :

1. आवेदक नौकरी पेशा में जुड़ा न हो ।
2. आवेदक को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान दवाराब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया हो तथा उस पर किसी प्रकार का मुकदमा दायर ना किया गया हो|

3. आवेदक के पास पशु आहार वितरण या इससे जुड़े व्यवसाय से संबन्धित व्यवसाय का अनुभव हो।

4. आवेदक के पास भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान एवं परिवहन संबन्धित व्यवस्था हो ।

5. इच्छुक आवेदक के पास इस व्यवसाय के संचालन हेतु पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो तथा कार्य संचालन हेतु आवश्यकतानुसार सहायक रखने हेतु क्षमता हो|

आवेदक निविदा प्रपत्र के अनुसार सभी विवरणी को पूर्ण एवं संलग्न करते हुए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन कुरियर/निबंधित डाक/ हाथो-हाथ माध्यम से निम्नलिखित पते पर जमा किया जा सकता है|

ग्रुप प्रमुख, उत्पादकता अभिवृद्धि , झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड,मेधा डेयरी, बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारावास के समीप, खेलगाँव, होटवार, रॉची—835217

आवेदन 10.11.2020 शाम5 बजे तक ही स्वीकार किया जायगा। आवेदन के संबंध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित दूरभाष संख्या-7544003406/7280843465 पर संपर्क करे।

अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी एक /सभी निविदाओं को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रबंध निदेशक

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड

किसान प्रशिक्षण केंद्र परिसर, एच.ई.सी. सेक्टर-2, धुर्वा, राँची- 834004

Website http:/ www.jmf.coop

(अनुलग्नक - 1)

आवेदन की समय सीमा

1.झारखण्ड दुग्ध महासंघ, राँचीअपने पशु आहार एवं अन्यउत्पाद के विपणन केलिए अनुलग्नक-2 में वर्णित स्थानों के लिए वितरक नियुक्त करना चाहती है ।

2. उक्त आमंत्रित आवेदन से सम्बन्धित तिथियों की विवरणी निम्न है:-

क्रमांक	विवरणी	दिनांक
01.	अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र की उपलब्धता	20.10.2020
02.	आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	10.11.2020 शाम 5.00 बजे तक
03.	आवेदन जमा/ भेजने का पता	ग्रुप प्रमुख (उत्पादकता अभिवृद्धि), झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड,मेधा डेयरी (बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार के निकट), होटवार, राँची,835217
04.	आवेदन खोलने की तिथि	13.11.2020

नोट: उक्त अधिकृत वितरक नियुक्त सम्बन्धी सूचना दिनाँक : 31.03.2021तक खुली (वैध) रहेगी तथा उक्त संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्रत्येक तीन माह के अंतराल के बाद खोला जायेगा |

उदाहरण : नवम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 तक प्राप्त आवेदनों को जनवरी 2021 में निष्पादित किया जायेगा |

3. उक्त सम्बन्ध में अधिक जानकारी ग्रुप प्रमुख (उत्पादकता अभिवृद्धि), झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, मेधा डेयरी, होटवार, राँची से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है |

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड

किसान प्रशिक्षण केंद्र परिसर, एच.ई.सी. सेक्टर-2, धुर्वा, राँची- 834004

Website http:/ www.jmf.coop

(अनुलग्नक -2)

जिलों/कस्बों, शहरों की सूची जिसके लिए अधिकृत वितरकों की नियुक्ति की जानी है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	कस्बा/शहर का नाम
1	राँची	राँची, बेड़ो, माँन्डर
2	लोहरदगा	लोहरदगा,
3	खूँटी	खूँटी, तोरपा, मुरहु
4	रामगढ़	रामगढ़,बरकाकाना
5	हजारीबाग	बरकागाँव, गोरियाकर्मा, बरही, चौपारण
6	कोडरमा	कोडरमा,तिलैया
7	चतरा	हंटरगंज, इटखोरी,
8	बोकारो	बोकारो स्टील सिटी, बेरमों
9	गुमला	पालकोट, घाघरा, सिसई
10	देवघर	देवघर,मधुपुर
11	दुमका	दुमका, बासुकीनाथ, नोनीहाट
12	लातेहार	लातेहार, चंदवा, बालूमाथ
13	पलामू	डाल्टनगंज, सतबरवा, जपला
14	गढ़वा	गढ़वा, मझिआवं
15	गोड्डा	गोड्डा, पोड़ेयाहाट
16	पाकुड़	पाकुड़, महेशपुर
17	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर, टाटानगर
18	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा,चक्रधरपुर
19	सरायकेला खरसावाँ	सरायकेला, खरसावाँ,चांडिल, आदित्यपुर
20	सिमडेगा	सिमडेगा
21	धनबाद	धनबाद
22	गिरिडीह	गिरिडीह
23	साहेबगंज	साहेबगंज, राजमहल
24	जामताड़ा	जामताड़ा, मिहीजाम

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड

किसान प्रशिक्षण केंद्र परिसर, एच.ई.सी. सेक्टर-2, धुर्वा, राँची- 834004

Website http:/ www.jmf.coop

(अनुलग्नक -3)

आवेदन सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश

1. आवेदनकर्ता प्रपत्र की शर्तों को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर भरेंगें। अगर शर्तों से संबंधित कोई जानकारी/स्पष्टताप्राप्त करनी हो तो ग्रुप प्रमुख (उत्पादकता अभिवृद्धि),जेएमएफ़,रॉची के मोबाईल न0 7544003406/7280843465पर सम्पर्क किया जा सकता है।

2. पूर्ण रूप से भरागया प्रपत्र एंव अनुलग्नक ही स्वीकार किया जायेगा । भरेगएफॉर्म एंव अंकित शर्तों के आधारपरनिविदादाता कोमोहर के साथ अपना हस्ताक्षर करना होगा।

3. भरा गए प्रपत्र के साथ निविदाप्रपत्र मुल्य 500.00 (पॉच सौ) रूपये का ड्राफ्ट/चेक जो "The Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Limited" के नाम होगा तथा राँची में भुगतेय होगा, जो कि अप्रतिदेय होगा (Non-refundable)संलग्न करना होगा, अन्यथा उनकी निविदा अमान्य हो जायेगी ।

4. तकनीकी रूप से सफल निविदा/ आवेदन के लिए अनिवार्य अनुलग्नक:-

क) निविदा / आवेदन प्रपत्र मूल्य 500/- बैंक ड्राफ्ट/ चेक/प्राप्ति रसीद मूल प्रति में।

ख) आधार एवं पैन कार्ड की छाया प्रति (स्व प्रमाणित)।

ग) निविदादाता का पत्राचार का पता साक्ष्य-सहित (स्व प्रमाणित)।

घ) निविदादाता को छः माह का अद्यतन बैंक विवरणी संलग्न करना है।

च) अंतिम एक साल का इनकम टैक्स रिटर्न की छाया प्रति (स्व प्रमाणित)।

छ) निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान दवारा ब्लैक लिस्ट में नही डाला गया हो तथा उसपर किसीतरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वअभिप्रमाणित किया गया विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।

<u>झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड</u>

<u>किसान प्रशिक्षण केंद्र परिसर, एच.ई.सी. सेक्टर-2, धुर्वा, राँची- 834004</u>

<u>Website http:/ www.jmf.coop</u>

<u>मेधा पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट विक्रय हेतु निविदा आवेदन प्रपत्र</u>

1 आवेदक का नाम ....

2 आवेदक की स्थिति (व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/ कम्पनी)..

3 शैक्षणिक योग्यता..

4 आवेदक का स्थाई पता...

....

5 आवेदक का पत्राचार पता..

....

6 आवेदक का दूरभाष व अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल संख्या...

7 वर्तमान व्यवसाय का विवरण (यदि कोई हो) ....

8 स्थान/क्षेत्र का नाम व पता जिसके लिए आवेदन भरा गया है ....

....

....

....

9 व्यवसाय में पूंजी लगाने की अनुमानित राशि ....

(वित्तीय स्थिति से संबंधित छ: माह का अद्यतन बैंक विवरण संलग्न करें)

10 पैन नंबर..

(प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

11 आधार नंबर...

(प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

12 फर्म का जीएसटी संख्या..

(ऐच्छिक/अनिवार्य नही)

13 पिछले वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न..

(दस्तावेज कास्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

14 संबंधित बैंक का नाम व पता जिसमें आपका अकाउंटहो..

....

15 निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान दवारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया हो तथा उस पर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया हो, का स्वअभिप्रमाणित किया गया विवरण संलग्न करना अनिवार्य है..

16 पशु आहार एवं अन्य फीड सप्प्लीमेंट बिक्री का अनुभव..
(संबंधित दस्तावेज छाया प्रति संलग्न करें)

17 आधारभूत संरचना :-
भंडारण स्थान का पता ....
भंडारण स्थल का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) ....
भंडारण क्षमता (टन में) ....
परिवहन हेतु डिलीवरी वैन की विवरणी ....

18 व्यवसाय के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों/ सेल्स मैन की विवरणी:
क. संख्या..................................ख. योग्यता................................. ग. अनुभव..

19 निविदा प्रपत्र की राशि के मद में ड्राफ्ट संख्या/ चेक संख्या ....दिनांक......................... राशि रु० ....संलग्न किया जा रहा है|

20 पशु आहारकी अनुमानित मासिक ब्रिकी टर्नओवर (MT):..

<u>आवश्यकशर्त:</u>

निविदा प्रपत्र के कंडिका संख्या 8, 9, 10, 11,13, 14,15,16, 17 एवं 19 में निहित शर्त आवेदक को योग्य होने के लिए आवश्यक है| निविदा प्रपत्र में अंकित कंडिका संख्या 17एवं 18के संबंध में उपलब्ध आवश्यक योग्यता अगर निविदा भरते समय तक ना हो तो निविदादाता द्वारा कार्य आवंटन के अधिकतम 21 दिनों के अंदर उन्हें उपलब्ध कराना होगा जिसका भौतिक निरीक्षण के उपरांत इकरारनामा का संपादन करवायाजाएगा|

मैं /हम घोषणा करता/ करती हूँ कि जो भी सूचना प्रपत्र में अंकित की गयी है, वह मेरी/हमारी जानकारी में सत्य है अगर कभी भी उपयुक्त अंकित जानकारी असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी को बिना कारण स्वता रद्द समझा जाएगा| उपरोक्त सभी सूचनाओं की संपुष्टि एवं मूल दस्तावेजों की जाँच की जा सकती है जिसके लिए मैं किसी भी समय उपस्थित रहूँगा/रहूँगी|

स्थान: आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक: ऑफिस मुहर के साथ

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
मेधा डेयरी, होटवार, राँची
The Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation, Limited
Medha Dairy, Hotwar, Ranchi

निविदा की मुख्य शर्ते

1. प्रत्येक वितरक का क्षेत्र निर्धारित होगा। प्रत्येक जिले में वितरकों की कुल संख्या का निर्धारण, उनकी नियुक्ति एंवनिरस्त करने का अधिकार जेएमएफ़ को सुरक्षित रहेगा। किसी वितरक क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओंका निर्धारण उस क्षेत्र की बिक्री क्षमता व संभावनाओं के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक पार्टी एक साथ कई स्थानों के लिये आवेदन कर सकते है | चयन करते समय वितरक की आर्थिक स्थिति तथा पशु आहार संबन्धित अनुभव को ध्यान मे रखा जाएगा ।
2. नियुक्त वितरकों को मात्रा के लक्ष्य का निर्धारण जेएमएफ़ के द्वारा किया जाएगा, जिसे नियुक्त वितरकों को लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होगा |
3. नियुक्त वितरक को शुरूआत में कम से कम 10मैट्रिक टन (100 क्विंटल) प्रति माह पशु आहार/ मिनरल मिक्सचर बेचना होगा , जिसकीमात्रा धीरे-धीरे बढ़ाना होगा। क्षेत्र मे बिक्री संभावनाओं के आधार पर इसकी शुरूआती निर्धारित मात्रा घटाई/बढ़ाई भी जासकती है।
4. पशु आहार वितरण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. नियुक्त वितरकों को प्रारम्भिक 6 माह के लिये नियुक्त किया जायेगा, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे कार्य विस्तारण हेतु विचार किया जायेगा | नियुक्त वितरक अपनी वितरणशिप 2 माह के पूर्व लिखित सूचना के उपरान्त छोड़ सकते है |
6. पशु आहारों का मूल्य एक्स- पशु आहार कारख़ाना, मेधा डेयरी,राँची के आधार पर निर्धारित किया जायेगा एंव वितरकों को दियेजाने वाले मार्जिन एंव अधिकतम खुदरा मुल्य (एम. आर. पी.) अलग से निर्धारित किये जायेंगें। आवश्यकता पड़ने पर इन मूल्य एंव मार्जिन का निर्धारण एंव इसमें आवश्यक संशोधन का अधिकार जेएमएफ़ के पास सुरक्षित रहेगा। संशोधितदर वितरकों को मान्य होगा।
7. आहारों की बिक्री अधिकतम खुदरा मुल्य (एम.आर.पी.) से अधिक कीमत पर नहीं की जायेगी।
8. पशु आहारों की आपूर्ति अग्रिम राशि के भुगतान के आलोक में ही की जा सकेगी। अग्रिम भुगतान विभाग के बैंक खाते में नगद जमा, चेक, RTGS/NEFTया अन्य माध्यम से किया जा सकता है।
9. नियुक्त किये गये वितरक मेधा ब्राण्ड/संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य जो मेधा ब्राण्ड /संस्थाके हित को कुप्रभावित करता हो या व्यवसाय के नीति के प्रतिकूल हो, नही करेंगें । ऐसा करते पाये जाने परवितरकशिप रद्द कर दी जायेगी।

10. एक माह से अधिक पुराने हो चुके पशु आहारों की गुणवत्ता में ह्रास की जिम्मेवारीजेएमएफ़की नहीहोगी। उपरोक्त अवधि मे यदि आहारों की गुणवता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उत्पाद/ विनिर्माण दोष का निवारण शीघ्रता से किया जायेगा ।

11. जेएमएफ़ के दुग्ध संकलन केंद्र,सरकारी प्रक्षेत्रों, सहकारीसमितियों में पशु आहारों की आपर्ति जेएमएफ़, राँची के द्वारा सीधे तौर पर कियाजायेगा एंव इन आपूर्तित सामग्री पर उस सम्बन्धित क्षेत्र के वितरको को किसी प्रकार का मार्जिन /कमिशन देय नही होगा ।

12. नियुक्त किये गये वितरक को आहारों के विक्रय से सम्बन्धित आवश्यक लाईसेंस /सर्टिफिकेट, वैधानिक प्रकिया एंवअन्य प्रावधानों का अनुपालन एंव समय-समय पर उनका नवीकरण का कार्य स्वंय करना होगा एवं इन मे किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर जेएमएफ़, राँची जिम्मेवार नही होगा। सम्बन्धित सरकारी विभाग से निर्गत निबन्धन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड तथा अंतिम एक साल के ईन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छाया प्रतियों को जेएमएफ़ में जमा करेंगे ।

13. नियम व शर्तों में बदलाव होने की दशा में लागू किये गये नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा । ऐसा नहीकरनेकी दशा में वितरकशीप रद्द कर दी जायेगी।

14. नियुक्त वितरक द्वारा अग्रधन राशि 10000/- (रुपया दस हजार मात्र) जमानत राशि के तौरपर जमा करना होगा | जिसपर कोई ब्याज़ देय नही होगा। वितरककाल समाप्त/ रद्द होने की दशा में उक्त राशि को वापस कर दिया जाएगा।

15. पशु आहारों को गुणवत्तापूर्ण बनाये रखने हेतु आहारों का भण्डारण उचित तरीके से करना होगा। भण्डारण करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन संस्था के द्वारा मौखिक या लिखित रूप से दिया जायेगा, जिसका अनुपालन करना अनिवार्यहोगा।

16. वितरकों को अपने क्षेत्र में सप्लाई चेन बनाये रखने हेतु माल का पर्याप्त भण्डारण एंव उसे दुकानो तक पहुँचाने हेतुपर्याप्त संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था स्वंय के स्तर से करनी होगी।

17. वितरकों को मेधादान ब्राण्ड के प्रमोशन को प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।

18. नियुक्त वितरक को 100.00 (सौ रूपये) मात्र के नन जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर वैधानिक रूप सेइकरारनामा कार्यावंटन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सम्पन्न करना अनिवार्य होगा । इकरारनामा का प्रपत्रपशु आहार कारखाना, रॉची से उपलब्ध कराया जायेगा।

19. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराह्न 5.00 बजे तकसभी लोड गाड़ियों का चालान/बिल आदि निर्गत किया जा सके।

20. नियुक्त वितरक जिन्हें कार्य आवंटितहोगा उनके द्वारा या भेजी गई गाड़ी के चालक,खलासी या किसी अन्य कर्मचारीद्वारा इस कारखाना को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जायेगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी वितरक की होगी तथा उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी ।

21. उत्पादित फीड के परिवहन के क्रम में आहारों के भींगे रूप में पाये जाने, बोरा के गिनती कम पाये जाने या किसीअन्य प्रकार की क्षति के लिये वितरक स्वंय जिम्मेवार होंगें ।

22. कार्य आवंटन का आदेश ग्रुप प्रमुख (उत्पादकता अभिवृद्धि),झारखण्ड दुग्ध महासंघ, राँची के द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा कार्य आवंटन के उपरान्त किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्श कर उसका निदान किया जायेगा । आपसी सहमति से निदान नही होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, जेएमएफ़, राँची द्वारा लिया गया निर्णयदोनो पक्षों को मान्य होगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।

उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार है।

आवेदक का हस्ताक्षर
(मोहर के साथ)